

शा 1 से 3 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से आवली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकूलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनों तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से वादी के वाद की आंशिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नहीं किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 क्रमशः मंजू व संजू ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे हैं एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधिन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 कैलाश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खसरा नम्बर 1416 रकबा 1.5378 में से रकबा 0.7689 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार तथा खसरा नम्बर 1403/1 रकबा 1.7401 हैक्टेयर में से रकबा 0.8701 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
2. वादी संख्या 2 श्रवणकुमार के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खसरा नम्बर 1416 रकबा 1.5378 में से रकबा 0.7689 हैक्टेयर पश्चिमी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार तथा खसरा नम्बर 1403/1 रकबा 1.7401 हैक्टेयर में से रकबा 0.8700 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 रिधकरण के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खसरा नम्बर 1964 रकबा 1.3597 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी सं. 2 व 3 क्रमशः मंजू व संजू द्वारा अपने हक हिस्से का त्याग करने से मामला हक त्याग के द्वारा भूमि अन्तरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्री आदेश का भाग रहेगा।
6. उक्त खसरा में से बैंक के रहन खसरा का रहन यथावत रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 9.12.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल